न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–145 / 2026
N.T.P.C. थाना कांड संख्या–75 / 2025
अंतर्गत धारा–103(1), 238, 3(5) बीएनएस

06.03.2026 याचिकाकर्ता 1. रानी कुमारी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद सिंह तथा अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा–103(1), 238, 3(5) बीएनएस से संबंधित N.T.P.C. थाना कांड संख्या 75 / 2025, दिनांक 12.09.2025, के नामित अभियुक्ता हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदिका की ओर से इस सत्र न्यायालय एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदिका का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने इनको घटना करते नहीं देखा है। आवेदिका निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई अपराध–कारित नहीं किया गया है, इनको इस केस में गलत फंसाया गया है, इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इस वाद में आवेदिका के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदिका अभियुक्ता न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदिका अभियुक्ता को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए कहते हैं कि इस आवेदिका पर मिलकर रूबी देवी कि हत्या दहेज के लिए किया गया है जोकि एक गंभीर अपराध है। अतः, जमानत के हकदार नहीं हैं इनके जमानत आवेदन खारीज किए जाने योग्य है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक–11.09.2025 को शाम 06.00 बजे सारो देवी की पुत्री–चंपा देवी ने बताया कि रूबी देवी को जान मार कर फेंक दिया है। आनन–फानन में वह अपनी पुत्री के घर पहुंची तो वहां वह नहीं मिली। उसकी दूसरी पुत्री–रूनी कुमारी मिली जिसने बताया कि बहन–बहनोई के बीच लड़ाई–झगड़ा हुआ था जिसको लेकर मुकेश कुमार, विकास कुमार, नीतीश कुमार, रीता देवी, मोनी कुमारी एवं रानी कुमारी सभी मिलकर रूबी कुमारी को गले में दुपट्टा बांधकर दीवार में खूंटा पर लटका दिया एवं सफेद चादर में लपेटकर गंगा जी में फेंक दिया।

कांड दैनिकी के कंडिका से यह विदित् होता है कि वादिनी ने अपने पुनः, ब्यान में घटना का समर्थन किया है। कंडिका–12 में साक्षी–रूनी देवी जोकि मृतका की अपनी बहन हैं और वह उसी घर में ब्याही गई हैं उसने कहा है कि जोर का आवाज आया जब आवाज पर वह नीचे आई तो देखी कि परिवार के सभी सदस्य डरे एवं सहमे थे और कमरे के बाहर खड़े थे, दरवाजा बाहर से लगा था और बहन कील से दुपट्टा के सहारे लटकी हुई थी। कुछ समय बाद उसे सफेद चादर में लपेटकर उफनती गंगा नदी में फेंक दिया गया। कंडिका–45 में एक अभियुक्त–मुकेश कुमार का स्वीकारोक्ति ब्यान है जिसमें उसने कहा है कि मृतका जो की उसकी पत्नी थी, वह B.A. परीक्षा में

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–145 / 2026
N.T.P.C. थाना कांड संख्या–75 / 2025
अंतर्गत धारा–103(1), 238, 3(5) बीएनएस

लगातार

06.03.2026

उर्तीण हुइ थी जिसके कारण सरकार से उसे पच्चास हजार रूपए की राशि मिली उस राशि को उसने अपने पलंग खरीदने में खर्च कर दिया। मुकेश कुमार एवं उसके परिवार वाले चाहते थे कि उस पैसे से उसकी छोटी बहन की शादी की जाए। इस बात को लेकर परिवार के लोग ताना मारते थे और प्रताड़ित करते थे इसके बाद बीस हजार रूपए जिसे भैंस बेचने से प्राप्त हुआ था इसको लेकर मृतका और ससुराल वालों के बीच झड़प और विवाद हुआ था जिससे मृतका घर में कुंडी लगाकर आत्महत्या कर ली उसने यह स्वीकार किया है कि आवेदक अभियुक्तों के द्वारा मृतका के मृत शरीर को गंगा नदी में डाल दिया था और परिवार के सारे सदस्य भाग गए। ऐसा वे लोग फंसने के डर से किए थे। अब–तक किए गए अनुसंधान में आवेदिका की संलिप्तता इस कांड में पाई गई है एवं यह प्राथमिकी की नामजद अभियुक्ता हैं, इनके विरूद्ध धारा–103(1), 238 एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस कांड में अनुसंधान जारी है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए को आवेदिका अभियुक्ता–1. रानी कुमारी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, प्रस्तुत जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़